न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियाँ

पीठासीन अधिकारी :– रतनलाल रेगर (आर ए एस)

वादपत्र सख्या 20A / 2019

वादीगण :–

1. किशनलाल पुत्र श्री बालूराम
2. भवरी पत्नी श्री बालूराम जाति माली निवासी ग्रम कोटडा तहसील तिवरी जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. पुखराज पुत्र श्री बालुराम
2. रतनलाल पत्र श्री बालूराम
3. जेठाराम पत्रु श्री बालूराम सभी जाति माली निवासी ग्रम कोटडा तहसील तिवरी जिला जोधुपर
4. सरकार जरिये तहसीलदार तिवरी जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::– दिनॉक 13/2/19

वादीगण के द्वारा वादपत्र इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की चूक से खातेदारी भूमि तहसील तिवरी के राजस्व ग्राम कोटडा पटवार हल्का चौपासनी चारणान के खसरा सख्या 7/1 रकबा 06 बीघा 01 बिश्वा, खसरा सख्या 08 रकबा 49 बीघा 08 बिश्वा, खसरा सख्या 10 रकबा 65 बीघा 17 बिश्वा भूमि में 1/6 हिस्से की भूमि में बालूराम की खातेदारी की आयी हुई थी जिसमें बालूराम के देहान्त के पश्चात फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकार करते समय वादी का नाम भूलवश रह गया था जिसका वादी अपना नाम घोषित करवाने का अधिक[illegible] होने से बालूराम की भूमि में प्रथम श्रेणी का वारिसान है वादी वादपत्र के [illegible] शपथपत्र पेश किया गया उक्त वादपत्र राजस्व लोक अदालत कैम्प चौपासनी [illegible] पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण स्वय उपस्थित हुए तथा वादी का वादप[illegible] स्वीकार किया व वादी [illegible]स्व श्री बालूराम के देहान्त के पंश्चात फौतेदगी म्यूटेशन में छुटना बताया प्रतिवादीगण के बयान अलग से लेखबद्व किये गये वादीगण के द्वारा वादपत्र के साथ तात्कालिक सरपंच का प्रमाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

पत्र भी पेश किया गया जिसमें सरपंच ने वादी को स्व श्री बालूराम का वंशज प्रतिवादीगण सख्या 01 से 03 के साथ ही साथ बताया गया ।

उक्त वादपत्र मे प्रतिवादीगण सख्या 04 तहसीलदार तिवरी प्रभावी पक्षकार थे जिन्होने अपने जबाव में वादी के वादपत्र को स्वीकार किया तथा जबाव दिनॉक 04.02.2019 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र ग्रम कोटडा के खसरा सख्या 7/1 08 व 10 के सम्बध में चाही गयी रिपोर्ट पटवारी चौपासनी चारणान से प्राप्त की गयी पटवारी रिपोर्ट के अनुसार किशनलाल भी बालूराम का विधिक वारिसान है अत किशनलाल का नाम पैत्रक सम्पति में दर्ज किया जाना उचित है।

इस प्रकार से प्रतिवादीगण के जबाब स्वीकारोक्ति प्राप्त होने पर पत्रावली को बहस मे ली गयी तथा वादीगण स्वय उपस्थित हुए वादपत्र में वर्णित तथ्यो का दोहराव किया व वादपत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त खसरान की भूमि में वादी को स्व श्री बालूराम के वारिसान प्रतिवादीगण सख्या 01 से 03 के साथ ही 1/6 हिस्से की भूमि में साथ अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की निवेदन किया ।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन में यह स्पष्ट है कि वादी स्व श्री बालूराम का पुत्र है तथा स्व श्री बालूराम का फौतेदगी नामान्तरकरण सख्या 42 दर्ज करते समय सहवन से वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना रह गया जो प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार किया गया है व सरंपच का वंशावली प्रमाण पत्र भी सलग्न हैं इसलिए सम्पूर्ण दस्तावेजो के आधार पर व प्रतिवादीगण स्वीकारोक्ति के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त भूमि वर्तमान तहसील तिवरी के राजस्व ग्रम कोटडा के खसरा सख्या 7/1 रकबा 06 बीघा 01 बिश्वा, खसरा सख्या 08 रकबा 49 बीघा 08 बिश्वा, खसरा सख्या 10 रकबा 65 बीघा 17 बिश्वा भूमि में प्रतिवादीगण सख्या 01 से 03 के साथ 1/6 हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों । निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार तिवरी को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

आदेश आज दिनॉक 13/2/19 को हस्ताक्षरित कर खुले इजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
आर.ए.एस
सहायक कलेक्टर ओसियॉ

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
बइजलास — श्री ... आर.ए.एस.

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीः–
किशनाराम पुत्र बालूराम		पुखराज वगैरह

दावा अन्तर्गत धारा 88,136 आर.टी.एक्ट.
वाद संख्याः–204/2019

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को वाद ग्रस्त भूमि तहसील तिवरी ग्राम कोरड़ा के ख.नं. 71 रकबा 66 बीघा 01 बिस्वा, ख.नं. 08 रकबा 49 बीघा 08 बिस्वा, ख.नं. 10 रकबा 65 बीघा 17 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के साथ 1/6 हिस्से मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज ......—...... मुबलिग ......—...... बाबत् ......—......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ......—...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......—...... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख व मुहर अदालत के आज तारीख 13/2/19 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

मोहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प उर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबात इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा					
मीजान			मीजान		

नोट– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज किया जावें।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.08 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner